373

संख्या-342 /एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन पाधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 29-03-2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 राजय आपदा प्रबनधन प्राधिकरण के गैर वेतन (मानक मद-20) में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधानित धनराशि रू0 104.00 लाख का धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1553/रा0आ0प्र0प्रा0/2024-2 दिनांक 11.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिए गैर वेतन मानक मद-2 0 में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता के दृष्टिगत मानक मद- 31- सामान्य वेतन में हो रही बचत से रू0 104.00 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या- बजट-1-815-2 024 दिनांक 27 मार्च, 2 0 2 5 द्वारा अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06 –उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद में रू0 104.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट की व्यवस्था की गयी है।

3 - इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06 – उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद में , पुनर्विनियोग आदेश संख्या-283/एक-10-2024 दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा व्यवस्थिति की गयी धनराशि रू0 104.00 लाख (रूपये एक करोड चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके नियर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते/ प्रतिबंधों

(1) उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वितीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा , जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया गया है।

(5) उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
(9) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कल लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीननिर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।
4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये **1,04,00,000/- (रूपये एक करोड़ चार लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-80-800-06-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 29-03-2025 12:16:25

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनुसचिव।

संख्या:- 342(1)/एक-10-2025 दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-5
9- वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-29/03/2025

प्रेषण संख्या:- 342
आवंटन आदेश संख्या:- 002-342
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	10400000 65400000	10400000 65400000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10400000 65400000	10400000 65400000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चार लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ चौवन लाख

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी